



इलाहाबाद उच्च न्यायालय

जनहित याचिका (पीआईएल) संख्या 406/2026

राम सेवक यादव और 5 अन्य

.....याचिकाकर्ता(ओं)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य और 5 अन्य

.....प्रतिवादी(यों)

याचिकाकर्ता(कों) के अधिवक्ता : कमलेश कुमार त्रिपाठी, अजय कुमार तिवारी, आलोक रंजन त्रिपाठी

प्रतिवादी(यों) के अधिवक्ता : मीनाक्षी सिंह (अपर मुख्य स्थायी अधिवक्ता)

मुख्य न्यायाधीश का न्यायालय

माननीय मुख्य न्यायमूर्ति अरुण भंसाली,

माननीय न्यायमूर्ति क्षितिज शैलेन्द्र

- यह याचिका, कथित तौर पर जनहित में, प्रतिवादी संख्या 5 को निर्देश देने की मांग करते हुए दायर की गई है कि वह प्रतिवादी संख्या 4 के दिनांक 12.01.2024 के भूखंडों के अवैध आदान-प्रदान से संबंधित पत्र के बारे में उचित जांच शुरू करे।
- याचिका के अवलोकन से पता चलता है कि दिनांक 28.02.2024 को एक संक्षिप्त अभ्यावेदन दिया गया था, जिसमें अन्य बातों के अलावा यह उल्लेख किया गया था कि ग्रामीण समेकन कार्यवाही से संतुष्ट नहीं हैं। इसके बाद, जाहिर तौर पर दो वर्षों तक कोई कार्रवाई नहीं की गई और अब अचानक, फरवरी 2024 के उक्त संक्षिप्त अभ्यावेदन के आधार पर यह याचिका दायर की गई है, जिसमें उपरोक्त वर्णित राहत की मांग की गई है, जबकि प्रार्थना खंड में संदर्भित दिनांक 12.01.2024 के पत्र को भी प्रस्तुत नहीं किया गया है।
- जनहित याचिका के नाम पर इस प्रकार सरसरी तौर पर याचिका दायर करना स्वीकार्य नहीं है। अतः याचिका **खारिज** की जाती है।

(न्यायमूर्ति क्षितिज शैलेन्द्र) (मुख्य न्यायमूर्ति अरुण भंसाली)

फरवरी 23, 2026

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”